(1)

रजिस्टर्ड नियमावली आवक क्र.
0/113 (ऐ) वर्ष 2007-2008.
कार्यालय रजि. फ. सो. रायपुर
सुरेश गोयल, श्री जयनारायण
हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट
न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह

//नियमावली//

1. ट्रस्ट का नाम :- **श्री जयनारायण हरीराम गोयल चेरीटेबल ट्रस्ट** , होगा।
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय :- **न्यू टिम्बर मार्केट, पाटीदार भवन के सामने, फाफाडीह रायपुर छ.ग. तहसील व जिला रायपुर छ.ग.**
3. ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1/ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी व विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों का संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना।

2/ सूचना प्रौद्योगिक, कम्प्यूटर तकनीकी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में रोजगार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन।

3/ पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हितग्राहियों के लिये विकास पुर्नवास तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

4/ शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु विद्यालयों एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा महाविद्यालय तथा औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

5/ कृषि शिक्षा संबंधी उच्च तकनीकी का प्रशिक्षण व जानकारी का प्रचार प्रसार करना।

6/ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेलकूद, सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन व प्रशिक्षण का आयोजन करना।

7/ बेरोजगार छात्रों को विभिन्न औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन तथा रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध करना।

8/ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन व मार्गदर्शन करना तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध करना।

9/ अन्य स्थापित सोसायटी से प्रौद्योगिक क्षेत्रों में नयी उच्च तकनीकी व उच्च शिक्षा उपलब्ध करना।

10/ मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना व उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध करना।

4. संस्था के कामकाज का प्रबंध संस्था के विनियमों के द्वारा गर्वनर, परिषद, संचालकों, समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है।

अनुक्रमांक	नाम, पिता / पति का नाम	पता	उपजीविका
1.	श्री हरीराम गोयल वल्द स्व. श्री जयनारायण गोयल	रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	व्यवसाय
2.	श्री सुरेश गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	
3.	श्री राजेन्द्र गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	----
4.	श्री नरेन्द्र गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	----
5	श्री आनंद गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	----
6	श्री दिनेश गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	----
7	श्री संदीप गोयवल वल्द श्री हरीराम गोयल	-----	----

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

यह संस्था न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश दिनांक 16/10/2006 के अनुसार न्याय पंजी के सरल क्रमांक 290 में दर्ज है। यह नियमावली नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में पूर्ण किए गये है।

क्र.	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित	हस्ताक्षर
1.	श्री हरीराम गोयल वल्द स्व. श्री जयनारायण गोयल रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
2.	श्री सुरेश गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
3.	श्री राजेन्द्र गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
4.	श्री नरेन्द्र गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
5.	श्री आनंद गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
6.	श्री दिनेश गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल (सुरेश) रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]
7.	श्री संदीप गोयल वल्द श्री हरीराम गोयल (सुरेश) रविनगर पंडरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग.	[signature]

तारीख :- ....

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी एवं

पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

Kalpana Chaudhary

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम ....

पिता का नाम ....

पूर्ण पता ....

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

N. H. GOEL WORLD SCHOOL RAIPUR (C.G.)

//नियमावली//

1. ट्रस्ट का नाम :- श्री जयनारायण हरीराम गोयल चेरीटेबल ट्रस्ट , होगा।
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय :- न्यू टिम्बर मार्केट, पाटीदार भवन के सामने, फाफाडीह रायपुर छ.ग.तहसील व जिला रायपुर छ.ग.
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : जिला रायपुर (छत्तीसगढ)
4. ट्रस्ट के उद्देश्य :-

1/ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी व विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों का संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना।

2/ सूचना प्रौद्योगिक, कम्प्यूटर तकनीकी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में रोजगार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन।

3/ पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को हितग्राहियों के लिये विकास पुर्नवास तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

4/ शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु विद्यालयों एवं अभियांत्रिक , चिकित्सा महाविद्यालय तथा औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

5/ कृषि शिक्षा संबंधी उच्च तकनीकी का प्रशिक्षण व जानकारी का प्रचार प्रसार करना।

6/ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेलकूद, सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन व प्रशिक्षण का आयोजन करना।

7/ बेरोजगार छात्रों को विभिन्न औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन तथा रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध करना।

8/ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन व मार्गदर्शन करना तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध करना।

9/ अन्य स्थापित सोसायटी से प्रौद्योगिक क्षेत्रों में नयी उच्च तकनीकी व उच्च शिक्षा उपलब्ध करना।

10/ मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना व उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध करना।

5. सदस्यता :- संस्था के निनलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 2000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 1000/- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये ..../- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

सत्यप्रतिलिपि
रायपुर

Kalpana Chaudhary

Principal
N. H. Goel World School

10 COURT FEE 10
INDIA
[redacted]
TEN RUPEES

(ग) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति 8/- प्रतिमाह या रूपये 100/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

कार्यालय तहसीलदार रायपुर (छ.ग.)

(द) सम्माननीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा – अध्यक्ष – श्री मुकेश दामाजी धमगाये, महासचिव– श्री दिनेश फुटान, कोषाध्यक्ष – श्री राजेश भारती।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो, (2) भारतीय नागरिक हो

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो, (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) पागल हो जाने पर।

(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

(4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

(5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार, रायपुर

N. H. GOEL WORLD SCHOOL RAIPUR (C.G.)

Kalpana Chaudhary Principal
N. H. Goel World School

10 COURT FEE INDIA TEN RUPEES

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समात हुई हो।

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर।

10. (अ) **साधारण सभा :–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित् कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा :–** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) **विशेष :–** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उने दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

ATTESTED

11. **साधारण सभा के अधिकार कर्त्तव्य :–**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

Principal
N. H. Goel World School
Mardaha, Raipur (C.G.)

Kalpana Chaudhary
Principal
N. H. Goel World School
Mardaha, Raipur (C.G.)

N. H. GOEL WORLD SCHOOL RAIPUR (C.G.)

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन :-** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) महासचिव
(4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल :-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हों जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **महासचिव (मंत्री) के अधिकार :-**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

(2) समिति का अय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अयिमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये ..../- खर्च करने अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार :-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ..../- रहेंगे।

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Raipur (C.G.)

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन :-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

Kalpana Chaudhary
Principal
N. H. Goel World School

CANCELLED

3. **विघटन :-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति :-** संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. **बैंक खाता :** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट-आफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद :-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

28. **अर्थदंड निष्कासन :-**

(क) जो सदस्य वार्षिक चंदे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अंदर चंदे की रकम अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक चंदे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नही करेगा तो उसको तीन माह के अंदर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना पड़ेगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चंदा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चंदा नही देता है तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात् लगातार छः माह तक चंदा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जायेगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य के नाम काटने की निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नही प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(ङ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाये कि कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति की सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा हो जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसे सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन पंचभाई के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ.ग.)

प्रकरण क्रमांक 7ब/ 113 (1) वर्ष 2005-06

श्री सुरेश गोयल आत्मज श्री हरिराम गोयल

निवासी - रविनगर, रायपुर (छ.ग.) - आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(पारित दिनांक 18.10.2006)

1. आवेदक श्री सुरेश गोयल आत्मज श्री हरिराम गोयल निवासी - रवि नगर, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा श्री जयनारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह रायपुर को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के तहत प्रारूप - तीन नियम 4 (2) के अनुसार आवेदन पत्र और उसके साथ ट्रस्ट डीड, बॉयलाज पंजीयन बाबत निर्धारित शुल्क, चालान के साथ प्रस्तुत करने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया।

2- प्रकरण में दिनांक 28.3.2006 को नोटिस जारी कर आम जनता से उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में आपत्ति, दावा, सुझाव, दिनांक 28.4.2006 तक मांगा गया। किन्तु नियत अवधि दिनांक 28.4.2006 तक उक्त संबंध में कोई दावा, आपत्ति या सुझाव किसी से प्राप्त नहीं हुआ। उक्त नोटिस का स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन दिनांक 27.4.06 को राजस्व भृत्य द्वारा गवाहों के समक्ष किया गया है। इसी प्रकार उक्त नोटिस का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र भाग- तीन (1) पेज क्रमांक 63 में दिनांक 5 मई 2006 को हो चुका है। प्रकाशन प्रति प्रकरण में संलग्न है।

3- प्रकरण में आवेदक श्री सुरेश गोयल ट्रस्टी एवं श्री आनंद गोयल का ब्यान दर्ज किया गया, उन्होंने अपने ब्यान में दिनांक 18.8.2006 एवं 4.9.2006 में बताया है कि श्री जयनारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी न्यासी हैं। उक्त चेरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह, रायपुर में है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य गरीब छात्रों के प्रोत्साहन हेतु स्कूल एवं कालेजों में छात्रवृत्ति प्रदान करना, सार्वजनिक हित में धर्मशाला भवनों का निर्माण, निर्धन छात्रों व गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता, निर्धन व्यक्तियों को कपड़ा भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, तथा धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान निर्माण मरम्मत आदि किया जाना है।

CANCELLED

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

सत्यप्रतिलिपि

4. उन्होंने अपने ब्यान में उक्त ग्राम रायपुरा प.ह.नं. 104 में 6.54 एकड भूमि अचल
संपत्ति होना बताया है । बी-1एवं पांचसाला खसरा की सत्यप्रति लिपि पेश किया है । तथा
उक्त ट्रस्ट की चल संपत्ति बैंक आफ बड़ौदा के शाखा महावीर गोशाला के.के.रोड रायपुर
में खाता क्रमांक 11594 में 3,100/- (तीन हजार एक सौ रूपये) रूपये जमा होने की पुष्टि
की है । जिनकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है । प्रकरण में ट्रस्ट डीड एवं बायलॉज
संलग्न है । आवेदन पत्र में सभी न्यासियों के हस्ताक्षर हैं । उक्त 5 न्यासियों द्वारा
हस्ताक्षर करके उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी के ब्यान के पुष्टि किये हैं । उपरोक्तानुसार
प्रकरण में लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 06 के तहत जांच कार्यवाही पूर्ण
किया गया । उपरोक्तानुसार प्रकरण में लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 06 के
तहत पंजीयक का निष्कर्ष निम्नानुसार है

(अ) ट्रस्ट डीड एवं बायलॉज में वर्णित उद्देश्य सार्वजनिक स्वरुप का है । अतः
ट्रस्ट डीड एवं बायलॉज के अनुसार ही श्री जयनारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू
टिम्बर मार्केट फाफाडीह रायपुर एक धर्मार्थ चैरिटेबल सार्वजनिक न्यास होगा । उक्त
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय टिम्बर मार्केट फाफाडीह रायपुर में होगा । उक्त ट्रस्ट रायपुर जिले
से किसी दूसरे जिले में अपना कार्यक्षेत्र फैलायेगा तो उसे नियमानुसार उस जिले के
पंजीयक से उक्त बाबत अनुमति लेनी होगी ।

(ब) उक्त ट्रस्ट में अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाकर ट्रस्टी की संख्या 5 है ।
न्यासियों की संख्या ट्रस्ट के नियमानुसार कम है । अतः कम से कम [illegible] और ट्रस्टी
पंजीयन के पश्चात 90 दिवस के भीतर ट्रस्टी की संख्या को सार्वजनिक न्यास
अधिनियम 1951 की धारा 9 (1) के तहत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया
जाकर पूर्ण करें ।

(स) ट्रस्ट के आवेदक एवं ट्रस्टी ने अपने ब्यान में उल्लेख किया है कि
वर्तमान में ग्राम रायपुरा प.ह.नं. 104 में 6.54 एकड भूमि अचल संपत्ति है । प्रकरण में
आवेदक ट्रस्ट के प्रतिलिपि के अवलोकन करने पर 6.54 एकड भूमि अचल संपत्ति माना
जावे । प्रकरण में आवेदक ट्रस्ट के नाम से बैंक आफ बड़ौदा रायपुर के खाता क्रमांक
11594 में 3,100/- रूपये जमा है । अतः चल संपत्ति 3,100/- रूपये मानी जावे ।

(द) उक्त ट्रस्ट के संपत्ति में यदि कोई परिवर्तन होगा तो अथवा न्यासियों के
न्यास मंडल में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उक्त ट्रस्ट के प्रमुख को लोक न्यास अधिनियम
1951 की धारा 9 का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा । धारा 14 के तहत उक्त ट्रस्ट

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

Kalpana Chauhan

Principal

की संपत्ति को विक्रय आदि करने के पूर्व पंजीयक को स्वीकृति लेनी होगी । धारा 15,16 के तहत ट्रस्ट की लेखाओं की व्यवस्था करते हुए चार्टेड एकाउन्टेन्ट से ट्रस्ट के आय व्यय का आडिट रिपोर्ट प्रतिवर्ष 31 मार्च को ट्रस्ट प्रमुख को अनिवार्य रूप से करानी होगी । और उसकी रिपोर्ट पंजीयक को प्रस्तुत करनी होगी ।

(इ) उक्त ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी , ट्रस्ट के वेतनभोगी व्यक्ति नहीं होंगे, अर्थात उन्हें ट्रस्ट के आय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा । वे उक्त ट्रस्ट में निःशुल्क सेवा देंगे । उक्त ट्रस्ट के न्यासीगण ट्रस्ट एक्ट के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे . अधिनियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे । हमेशा ट्रस्ट के विकास, उन्नति , और ट्रस्ट हित में कार्य करेंगे । यदि उक्त ट्रस्ट के न्यासियों के क्रियाकलापों से ट्रस्ट को किसी प्रकार की क्षति और हानि पहुंचेगी तो पंजीयक को नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की पूर्ण अधिकार हमेशा सुरक्षित होगा। उक्त ट्रस्ट के न्यासीगण हमेशा ट्रस्ट में कोई भी कार्य सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कर सकेंगे । व्यक्तिगत हित में कोई भी कार्य कभी नहीं करेंगे।

5- अतः कंडिका तीन में धारा 06 के तहत अभिलिखित निष्कर्ष के अनुसार उक्त न्यास का उद्देश्य /स्वरूप सार्वजनिक प्रकृति के होने के कारण श्री जयनारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह रायपुर को एक धर्मार्थ / चैरिटेबल सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन किया जाता है ।

अतः लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 6 के तहत न्यास पंजी में उक्त न्यास का नाम, उसका उद्देश्य न्यासियों का नाम व पता, न्यास की चल एवं अचल संपत्तियों आदि का उल्लेख दर्ज किया जावे । तथा उपरोक्त अनुसार सार्वजनिक न्यास पंजी में की गई प्रविष्टि को अभिलिखित कर उसकी एक प्रति जमादार माल के माध्यम से कार्यालय के सूचना फलक में धारा 7 (1) के प्रावधान के परिपालन में प्रकाशित कराई जावे । आवेदक को उनके मांग अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जावे ।

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

TEN RUPEES

पंजीयक
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक
सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि

19/10/2006

Kalpana Chauhan

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयनारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट फाफाडीह, रायपुर को राजस्व मामला क्रमांक 07 ब/ 113 (1) वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2006 के अनुसार न्यास पंजी के सरल क्रमांक 290 में दर्ज किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक
सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ.ग.)

Receive one copy

ATTESTED

सत्यप्रतिलिपि

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

Kalpana Chaudhary

19/10/2006
26/10/2006
26/10/2006
26/10/2006

Principal

Kalpana Chaudhary

Principal